न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– हणमान बनाम मोहनलाल आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 47 वर्ष 2016

दिनांक	आज्ञा पत्र	
24.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया कि ग्राम मंढा उप तह0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 314 रकबा 1.82 है0 अवस्थित है। जिसपर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त है। जिसके पुराने ख0नं0 169/2 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा रहा है। प्रार्थी के पिता सुण्डाराम को राज0काश्त0अधिनियम के प्रभाव में आने पर धारा 15 के तहत ना0क0सं0 4 के द्वारा खातेदारी प्राप्त हो गई थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने पर राजस्व रिकार्ड में मन्नाराम पुत्र सुण्डाराम कौम बलाई के नाम से दर्ज हो गई। मन्नाराम प्रार्थी के पिता सुण्डाराम के भाई रामूराम का पुत्र है तथा मन्नाराम ने अपने पिता की विरासत प्राप्त कर रखी है। मन्नाराम बहुत ही चतुर व चालाक प्रवृति का व्यक्ति था जिसने राजस्व अधिकारियों से साज कर स्व0 सुण्डाराम का अपने आपको वारिस बताते हुए विवादित आराजी की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली। जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति के निर्वसियती स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान को प्राप्त होती है। प्रश्नगत प्रकरण में सुण्डाराम के हणमान नाम का जायंदा था। प्रार्थी के पिता सुण्डाराम के प्रार्थी के अलावा मन्नाराम नामक कोई जायन्दा पुत्र नहीं है इसलिए राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी के पिता सुण्डाराम की मृत्यु के बाद प्रार्थी लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन अप्रार्थीगण का पिता मन्नाराम बहुत ही चालाक प्रवृति का व्यक्ति है। उसने उक्त आराजी अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया, जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। उक्त गलत रेवेन्यू रिकार्ड की आड में अप्रार्थी सं0 1 ता 7 अपने पिता स्व0 मन्नाराम की विरासत अपने नाम दर्ज करवा कर उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 7 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंन्द करने हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 ता 7 जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब आवेदन मय काउन्टर क्लेम पेश कर मद सं0 1 को स्वीकार किया है। मद सं0 2 स्वंय साबित करना बताया। मद सं0 3 ता 7 गलत होने से अस्वीकार होना बताया। काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंढा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 314 रकबा 1.82 है0 अवस्थित है, जो अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मन्ना पिता मु0 सुण्डा अंकित हो गया तथा केवल मात्र सहवन से पिता का नाम गलत अंकित होने से किसी भी वैध स्वामी को उसके हक अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता तथा मन्ना के प्रथम श्रेणी के वारिसान अप्रार्थी सं0 1 ता 7 है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के पिता व पति	

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

मन्ना के पिता का नाम सहवन से गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल करने,काश्त व दखलदांजी करने की कुचेष्टा में प्रयासरत है। इसलिए प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। जवाब आवेदन व काउन्टर आवेदन पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तादौराने काउन्टर दावा प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी ने जवाब काउन्टर आवेदन पेश कर काउन्टर की मद सं0 1 ता 5 गलत होने से अस्वीकार किया तथा मद सं0 6 कानूनी होना बताया है। जवाब काउन्टर आवेदन पेश कर काउन्टर आवेदन विशेष हर्जा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने वकील उभय की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम मंढा उप तह0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 314 रकबा 1.82 है0 अवस्थित है, जिसके पुराने ख0नं0 169/2 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा रहा है। जिसपर प्रार्थी द्वारा अपने पूर्वजों के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आना बताते हुए वर्तमान में भी कब्जा काश्त होना बताया है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता सुण्डाराम को राज0काश्त0अधिनियम के प्रभाव में आने पर धारा 15 के तहत ना0क0सं0 4 के द्वारा खातेदारी प्राप्त होना बताते हुए प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने पर राजस्व रिकार्ड में मन्नाराम पुत्र सुण्डाराम कौम बलाई के नाम से दर्ज होना बताया है। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 ता 7 को जवाब आवेदन मय काउन्टर क्लेम पेश कर विवादित भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त की भूमि होना बताते हुए कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मन्ना पिता मु0 सुण्डा अंकित हो गया तथा केवल मात्र सहवन से पिता का नाम गलत अंकित होने से किसी भी वैध स्वामी को उसके हक अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता तथा मन्ना के प्रथम श्रेणी के वारिसान अप्रार्थी सं0 1 ता 7 है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के पिता व पति मन्ना के पिता का नाम सहवन से गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल करने,काश्त में दखलदांजी करने की कुचेष्टा में प्रयासरत है। इसलिए प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाने हेतु निवेदन किया है।

चूंकि वादी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा,स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 88,188 आरटीए एंव धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में पेश किया है, जिसमें जवाब दावा पेश होकर तनकीयात कायम की जा चुकी है। वाद जिरह में विचाराधीन है। वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूत के आधार वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा उठाये गये बिन्दूओं का मैरिट के आधार पर अंतिम निस्तारण किया जाना है इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ृषि भूमि ख0नं0 314 रकबा 1.82 है0 राजस्व ग्राम मंढा उप तह0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner